

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 14 / अलीगढ़/25541/2017, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 03, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0-22ए) किमी0 73 चैनेज 72.800 की दायीं पटरी पर ग्राम-ल्होसरा बिसावन के खसरा सं0-141/ए पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-4364/14-1, दिनांक 23.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में आज दिनांक 03.07.2018 को दूरभाष पर हुई वार्तानुसार बिन्दुवार संशोधित आख्या इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 14 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
- 2- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, 2314-तृतीय तल, टॉवर-ए, दि कोरिएन्थम, ए-41, से0-62, नोएडा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।